न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 94 / 2016 दायरा दिनांक : 16.02.2016

उनवान

1— कंवरलाल पुत्र श्री धन्ना लाल जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरन्या, तहसील अटरू, जिला बारां

2— श्योजी आत्मज श्री देव लाल जी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम अरन्या, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— सत्यनारायण पुत्र श्री मांगी लाल जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्या, तहसील अटरू, जिला बारां

2— धनराज पुत्र श्री मांगी लाल जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम अरन्या, तहसील अटरू, जिला बारां

3— राजस्थान सरकार

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या —

123/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रतिवादी रेस्पोडेंट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पिपलोद, तहसील अटरू में पुराना खसरा नम्बर 34 रकबा 10 बीघा आराजी स्थित थी । जिसका बाद सैटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 60 रकबा 1.75 हेक्टर बनाया है । वादग्रस्त आराजी पारा बेवा गोपीलाल, जाति मीणा निवासी अरन्या तहसील अटरू जिला बारां के खाते की थी । श्रीमती पाना बाई ने उक्त खसरा नम्बर 34 की भूमि में से दक्षिण की ओर 5 बीघा भूमि वादी अपीलांट नम्बर 1 कंवरलाल को एवं उत्तर की ओर की 5 बीघा भूमि वादी अपीलांट नम्बर 2 श्योजी को जरिये पृथक पृथक पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 27.05.1977 को विक्रय कर बहैसियत क्रेता कब्जा संभला दिया और तब से ही बहैसियत खरीददार खातेदार वादीगण अपीलांट अपनी अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं । उक्त भूमि वादीगण के खाते राजस्व अधिकारियों द्वारा दर्ज नहीं करने के कारण उक्त भूमि बेचान करने के उपरान्त भी पारां बाई के नाम ही दर्ज रही तथा पारां बाई की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण तस्दीक कर उसके पुत्र मांगीलाल एवं पुत्री सीताबाई के नाम दर्ज की गई तथा मांगीलाल की मृत्यु होने के बासद उसके हिस्से की 1/2 भूमि नामान्तरकरण संख्या 550 दिनांक 20.04.2011 से मांगीलाल के वारिसान उसके पुत्र धनराज एवं सत्यनारायण पुत्रियां कमलेश एवं संतोष तथा विधवा पत्नी द्रोपदी बाई के खाते दर्ज कर दी गई । सीताबाई ने अपने 1/2 हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र धनराज एवं सत्यनारायण के पक्ष में रिलीज कर दी तथा नामान्तरकरण संख्या 603 दिनांक 05.06.2012 से सीताबाई के हिस्से की भूमि धनराज एवं सत्यनारायण के खाते दर्ज कर दी गई । इसी प्रकार कमलेश, संतोष एवं द्रोपदी के द्वारा भी धनराज एवं सत्यनारायण के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र तहरीर कर देने

से नामान्तरकरण संख्या 614 दिनांक 20.07.2012 से कमलेश, संतोष एवं द्रोपदीके हिस्से की भूमि भी प्रतिवादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई तथा वर्तमान में प्रतिवादी का नाम दर्ज है । जबकि वादगस्त आराजी का विक्रय कर देने के उपरान्त पारा बाई के किसी भी वारिस का उक्त भूमि पर न तो कोई कब्जा रहा और न हक ही रहा । पारा बाई के लड़के मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में तहसील अटरू में वादीगण अपीलांट के विरूद्ध धारा 183 बी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत बेदखली की कार्यवाही की थी जो दिनांक 07.09.2007 को खारिज कर दी गई । जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील निम्न कारणों से पेश की गई है :–

1– यह निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है ।

2– यह कि कैम्प कोर्ट में पेशकार साहब द्वारा खाली आर्डरशीट पर दस्तखत करवाकर अपीलांट वादीगण को आने का कहने के बाद वादी की अनुपस्थिति में तहसीलदार साहब के आर्डरशीट पर दर्ज नोट के आधार पर ही वादीगण अपीलांट को नोटिस दिये बिना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किये बिना ही कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी को अवैध एवं निरस्तनीय है ।

3– अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि भूमि का विक्रय दिनांक 25.07.2977 को किया गया था तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के थर्ड शिडयूल के अनुसार धारा 175 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने की मियाद 30 साल है । उक्त बेचान को तीस साल से अधिक समय होने के कारण माननीय राजस्व मण्डल की वृहदपीठ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत 1981 आर आर डी 624, 1987 आर आर डी पेज 519, 1992 आर आर डी पेज 386, 2002(1) आर आर टी पेज 408 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2006(1) आर आर टी पेज 383 सुप्रीम कोर्ट तथा ए आई आर 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 3070 को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज कर त्रुटि की है ।

4– वादीगण अपीलांट का वाद हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का था जिसमें तनकीयात कायम किये बिना ही राज्य सरकार की

ओर से कोई काउंटर क्लेम पेश किये बिना ही कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित करने में त्रुटि की है ।

5— अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की प्लीडिंग के विपरीत नया केस बनाकर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है ।

6— अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान की प्रार्थना एवं सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किया जाता है जिसका कि इस निर्णय में अभाव है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.01.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभय पक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । अपीलांटगण ने कोई विधिक राजीनामा पेश नहीं किया था और न ही लोक अदालत में उपस्थित हुए थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में ए.आई.आर. 2011 एस.सी. पेज 9, ए.आई.आर. 2014 एस.सी. पेज 3070, 2006(1) आर.आर.टी. एस.सी पेज 383, 2002(1) आर.आर.टी. पेज 408, 1992 आर.आर.डी. पेज

386, 1987 आर.आर.डी. पेज 519, 1981 आर.आर.डी. पेज 624 एल. बी., 2006(1) आर आर टी. पेज 19 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रकार किया गया था । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

हमारे द्वारा दस्तावेज एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अध्ययन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की आर्डरशीट की रिर्पोटिंग के आधार पर उपरोक्त जमीन में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघंन मानते हुए सिवाय चक घोषित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली में धारा 175 की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र सलंग्न नहीं है । उपरोक्त प्रकरण में बेचान सन् 1977 के सलंग्न है, परन्तु बेचान के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक होना नहीं पाया गया है । अतः उपरोक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में लिमिटेशन का प्रश्न भी वाजिब है जिसका तनकी बनाकर के निर्णय किया जाना आवश्यक होगा । इस सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा कई सारी नजीरे भी पेश की गई है । जिसमें आर. आर. टी 2002(1) पेज 408, ए. आई. आर. 2011 एस. सी. पेज 9, ए. आई. आर. 2014 एस. सी. पेज 3070, 2006 (1) आर. आर. टी. एस. सी. पेज 383, 2006 (1) आर. आर. टी. एस. सी. पेज 19, 1992 आर. आर. डी. पेज 386, 1987 आर. आर. डी. पेज 519, 1981 आर. आर. डी. पेज 624 एल. बी. प्रस्तुत की । जिसमें लिमिटेशन का समय 12 वर्ष बताया गया है इसके अतिरिक्त सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार भी बिना किसी प्रार्थना पत्र के, बिना पक्षकार की सुनवायी किये, बिना तनकीयात कायम किये, बिना साक्ष्य इत्यादि लिये निर्णय

पारित किया गया है, जो सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय दिनांक 23.06.2015 अपास्त किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण तथा राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार के जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करें तथा समय सीमा के प्रश्न को निर्धारित करें, साक्ष्य इत्यादि प्राप्त करें तथा पक्षकार को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करके गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा